न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 16/2022/अपील

रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डाबड़ी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री सिकेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2022 द्वारा तहसीलदार फतेहपुर

निर्णय

दिनांकः 25 मार्च, 2025

1. अपीलांट **रघुवीर सिंह** की ओर से यह अपील वकील **श्री सिकेन्द्र सिंह शेखावत** द्वारा तहसीलदार फतेहपुर के आदेश क्रमांक 554/राजस्व/2022 दिनांक 18.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

    (1) कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 2.04 हैक्टेयर ग्राम डाबड़ी पटवार हल्का दीनवा लाडखानी भू.अ.नि. बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर मे अवस्थित है, जो अपीलांट की पैतृक शामलाती कृषि भूमि है, जिनके काबिज, खातेदार, काश्तकार है।

    (2) खसरा नम्बर 245 के पूरब साईड में डाबड़ी से सदीनसर का रास्ता जाता है, खसरा नम्बर 245 के उत्तर साईड में खसरा नम्बर 246 है, खसरा नम्बर 246 के पूरब साईड से घुमकर उत्तर साईड में भी जोहड़े में जाने का आम रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड का खसरा नक्शा व जमाबंदी से प्रमाणित है।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(3) राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 245 में बिना किसी नियम कानून के डोटेड रास्ता दिखाकर रास्ता बना दिया। जबकि कदीमी वर्षों से कोई रास्ता खसरा नम्बर 245 में नहीं रहा है। जबकि आगे जाने वाले खेतों में रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध है और चालू भी है। खसरा नम्बर 246 के चारों ओर रास्ता लगता है। डोट–डोट का रास्ता का अंकन बिना किसी विधिक प्रक्रिया के बना दिया। उसी के आधार पर तहसीलदार फतेहपुर ने बिना कोई जांच किये ही रास्ता खुलवाने का आदेश क्रमांक 554/राजस्व/2022 दिनांकित 18.07.2022 दे दिया। दिनांक 18.07.2022 के आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.07.2022 को ही प्राप्त कर ली थी परन्तु अपीलांट के हार्ट की परेशानी होने के कारण वह लगातार बीमार रहा, अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु अलग से आवेदन पेश किया जा रहा है।

(4) उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 का अपीलार्थी संयुक्त खातेदार, काश्तकार है। इसलिए तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर द्वारा अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारो को नोटिस देकर जांच की जानी थी जिससे सत्य का मालूम हो जाता परन्तु तहसीलदार फतेहपुर द्वारा खातेदारों को बिना नोटिस दिये एवं बिना कोई जांच किये ही आदेश पारित कर दिया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर ★ सीकर (राज.) ★

(5) राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके की सही स्थिति नही लिखकर फर्द मौका रिपोर्ट गलत बनाकर सही तथ्य नही लिखकर पेश किये जाने पर उसकी सही पुष्टि नहीं कर अपीलाधीन आदेश दिया था। इसलिये अपीलाधीन आदेश अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. हमने वकील अपीलांट की बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 245 में किसी प्रकार का कोई रास्ता अवस्थित नहीं था। अपीलांट की खातेदारी भूमि की उत्तर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

दिशा में खसरा नम्बर 246 अवस्थित है, जिसमें जाने के लिए पहले से ही रिकार्डेड रास्ता अवस्थित है। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 245 में से डोटेड रास्ता मानते हुए रास्ता खुलवाये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं, जबकि भू–प्रबंध की कार्यवाही से पूर्व तक अपीलांट की भूमि में से किसी भी प्रकार को डोटेड रास्ता अंकित नहीं था। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2022 खारिज फरमाया जावे।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

- ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर के ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार फतेहपुर के समक्ष दिनांक 08.07.2022 को एक आवेदन पेश किया गया है जिसमें ग्राम डाबड़ी के खसरा नम्बर 245 में से डोटेड रास्ता गुजरना बताया जाकर उक्त डोटेड रास्ते को खुलवाये जाने का निवेदन किया गया है, जिसको पटवारी हल्का को मौके एवं रिकार्ड की तथ्यात्मक जांच हेतु भिजवाया गया है।

- पटवारी हल्का दीनवा लाडखानी द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 11.07.2022 में अंकित किया गया है कि, राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 245 रकबा 2.04 हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन से रास्ता अंकित है तथा जमाबंदी में भी खसरा नम्बर 245 में रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता के नाम से दर्ज है। मौके पर खातेदार रूघवीरसिंह के द्वारा खसरा नम्बर 245 की पूर्वी सीमा तथा उत्तरी सीमा पर बाड़ करके रास्ते को अवरूद्ध किया हुआ है। उक्त रास्ता डाबड़ी से लेकर बलोद छोटी के रास्ते में मिल जाता है। उक्त रास्ता 1.5 कि.मी. लम्बा है। आगे के समस्त खेतों में मौके पर रास्ता चालू है केवल खसरा नम्बर 245 के खातेदार द्वारा ही रास्ते को अवरूद्ध किया गया है।

- तहसीलदार फतेहपुर ने अपने आदेश दिनांक 554 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा खसरा नम्बर 245 के राजस्व नक्शे में अंकित डोटेड रास्ते को खुलवाये जाने के लिए टीम गठित कर रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिसकी पालना में गठित टीम द्वारा दिनांक 22.07.2022 को रास्ता खुलवाया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 22.07.2022 पेश की गई है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि रास्ता खुलवाये जाने से पूर्व खसरा नम्बर 245 के खातेदारों को सूचित नहीं किया गया और न ही सुनवायी के समुचित अवसर प्रदान किये गये हैं।

- अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि भू–प्रबंध की कार्यवाही से पूर्व अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 245 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 148 हैं के मध्य से कोई रास्ता अंकित नहीं है। अतः प्रश्न यह भी उठता है कि अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 245 में से किस आधार पर डोटेड रास्ता अंकित किया गया है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **आंशिक स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य के समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्व रिकार्ड की पूर्ण जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक **25 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर